साप्ताहिक
निष्पक्ष...निर्भीक...निरंतर...

विश्वास का तीर

सपांदक- आयुष राजपूत
RNI.NO- MPHIN/2022/83636

वर्ष-03 | अंक-29 | भोपाल, प्रति शुक्रवार 31 मई 2024 | मूल्य-10 रूपयें | पृष्ठ-08

पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सीएम मोहन यादव

एक साल में दलित परिवार में 3 मौतें, अब गांव में खुलेगी चौकी सीएम बोले- आरोपियों को जल्द सजा दिलाएंगे

विश्वास का तीर

सागर के बरोदिया नोनागिर गांव में दलित युवती की मौत पर सियासत गर्माने के बाद बुधवार को सीएम डॉ. मोहन यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने अंजना अहिरवार की मां, भाई रोहित व विष्णु को ढांढस बंधाया। साथ ही चाचा राजेंद्र अहिरवार के घर पहुंचकर माता-पिता से चर्चा की। राजेंद्र की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी। सीएम ने पीड़ित परिवार को 8.25 लाख की आर्थिक सहायता राशि का पत्र दिया। इसमें से आधी राशि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर बैंक खाते में जमा की जाएगी। बाकी चालान पेश होने के बाद दी जाएगी। इस बीच, परिवार ने अंजना के भाई नितिन उर्फ लालू हत्याकांड में जनपद सदस्य अंकित ठाकुर को आरोपी बनाने, सीबीआई जांच कराने और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। सीएम बोले- 'गांव में आज से पुलिस चौकी काम करेगी, ताकि दोबारा कोई घटना न हो। आरोपियों को जल्द सख्त सजा दिलाएंगे। हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं।'

अपराध पर सरकार को सदन में घेरेगी कांग्रेस, नेता प्रतिपक्ष की कमेटी बनेगी

सागर में खुरई हत्याकांड, छिंदवाड़ा हत्याकांड के अलावा प्रदेश में दलित व आदिवासियों के उत्पीड़न और अपराध के मुद्दे पर कांग्रेस विधानसभा मानसून सत्र में राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में 3 महीने के भीतर हुए सभी अपराधों पर श्वेत पत्र रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें एससी-एसटी के सभी विधायक होंगे। इससे पहले जीतू पटवारी ने सीएम को पत्र लिखकर खुरई हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने व दोनों पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रु. की आर्थिक मदद देने की मांग की।

कांग्रेस का आरोप; जिस भूपेंद्र सिंह के साथ सीएम गए, उन्होंने ही पीड़िता को धमकाया

कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह व मंत्री गोविंद राजपूत की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कुछ समय पहले भूपेंद्र सिंह ने अंजना और उसके चाचा को अपने निवास पर नितिन हत्याकांड में समझौता कराने बुलाया था। दिग्विजय बोले- अब मुख्यमंत्री ऐसे दो दबंग भाजपा नेताओं को पीड़ित परिवार के घर साथ ले कर गए हैं। क्या उनके सामने पीड़ित अपनी व्यथा सुना पाए होंगे?

यह है मामला : भाई की हत्या की चश्मदीद थी अंजना, फिर संदिग्ध मौत

अंजना के परिवार में एक साल के भीतर 3 लोगों की मौत हुई है। पहले अंजना से छेड़छाड़ हुई। इसके बाद भाई नितिन की हत्या कर दी गई। मां को बेपर्दा करने का आरोप है। इसके कुछ समय बाद चाचा राजेंद्र की हत्या कर दी गई। वाहन में शव लाते हुए अंजना की भी? गिरकर मौत हो गई थी।

मप्र के 4 शहरों में जीएसटी छापे की कार्रवाई

विश्वास का तीर। प्रदेश में चार शहरों में मंगलवार को शुरू हुई जीएसटी की कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही। बार रेस्टारेंट में बेची जा रही शराब में जीएसटी चोरी के मामले में की जा रही कार्रवाई में जीएसटी अधिकारियों की टीम एसेसमेंट करने और दस्तावेजों की पड़ताल में जुटी रही। अब बार रेस्टारेंट में की जा रही जीएसटी चोरी के मामले में आबकारी विभाग से जानकारी मांगी गई है कि रेस्टारेंट को कितनी शराब सप्लाई की जा रही थी ताकि चोरी का सटीक आकलन किया जा सके। बताया गया कि इंदौर में 10, भोपाल में छह, सागर में तीन और रीवा में एक बार व रेस्टोरेंट पर छापे की कार्रवाई मंगलवार शाम शुरू हुई जो बुधवार तक जारी रही। भोपाल में 10 नंबर मार्केट, हमीदिया रोड सहित अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई। गौरतलब है कि बार में 18 प्रतिशत और रेस्टारेंटों में पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है। सभी स्थानों में मिलाकर एक करोड़ रुपये से भी अधिक जीएसटी की रिकवरी निकल सकती है। अधिकारियों ने बताया कि इनमें कुछ बार-रेस्टोरेंट संचालक ग्राहकों को साधारण बिल दे रहे थे, जिसमें जीएसटी नंबर तक नहीं था। इस तरह वे ग्राहकों से तो जीएसटी के नाम पर राशि ले रहे थे, पर विभाग में जमा नहीं कर रहे थे। कुछ बार और रेस्टारेंट के जीएसटी में पंजीयन नहीं होने की भी जानकारी सामने आई है।

मप्र में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर सख्ती...

सभी कलेक्टर्स को कार्रवाई के निर्देश; हाईकोर्ट का जांच-कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार, 11 स्कूल संचालकों समेत 51 लोगों पर की थी एफआईआर

विश्वास का तीर

मध्यप्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ मनमानी फीस वसूली को लेकर की जा रही कार्रवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने गिरफ्तारी, जांच और कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए याचिका लगाई थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल धगट ने इसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है। जांच शुरुआती दौर में है। लिहाजा, कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कार्रवाई को लेकर विस्तृत जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। इधर, स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के सभी कलेक्टरों को अपने जिले में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ इस तरह कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही, सभी स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर और अन्य जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने के लिए कहा है।

11 स्कूल संचालकों समेत 51 लोगों पर की थी एफआईआर

27 मई को जबलपुर कलेक्टर ने दीपक आर्य ने 11 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ न केवल कार्रवाई की, बल्कि 11 स्कूल संचालकों समेत 51 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही, ऐसे स्कूलों से अभिभावकों को 81.30 करोड़ रुपए की फीस वापस कराई गई। इन स्कूलों पर 22 लाख रुपए की पेनाल्टी

भी लगाई गई है। 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कलेक्टर का दावा है कि 240 करोड़ की वसूली का खेल उजागर हुआ है।

कोर्ट में स्कूल संचालकों का तर्क

बुधवार को पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को स्कूल संचालकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में स्कूलों की ओर से कहा गया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं की जाए।

कोर्ट ने कहा- बच्चों का अनहित करने जैसा अपराध

हाई कोर्ट ने कहा- स्कूलों ने अवैध रूप से अतिरिक्त फीस ही नहीं वसूली है, बल्कि बुक सेलर्स से साठगांठ कर फर्जी किताबें सिलेबस में लगाने का अपराध भी किया है, जो कि बच्चों का भी अनहित करने जैसा है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि अगर आरोपी स्कूल संचालकों और उनके गठजोड़ पर पुलिस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन को उनके स्कूलों से और भी दस्तावेज जब्त करने हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश- पोर्टल पर दर्ज कराएं जानकारी

इधर, सरकार ने गुरुवार को सभी कलेक्टरों को जिलों में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2018 और नियम 2020 के प्रावधानों का पालन सख्ती से कराने के लिए कहा है। इसे लेकर वे जिले के सभी विद्यालयों की फीस और अन्य जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराएं। कलेक्टरों से कहा गया कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 20 मई को जारी पत्र में फीस और अन्य विषयों की जानकारी अशासकीय विद्यालयों से पोर्टल पर 8 जून तक जमा कराने के निर्देश जारी किए गए थे।

30 जून तक फर्जी व डुप्लीकेट पुस्तकों संबंधी अभियान चलाएं

कहा गया है कि फर्जी व डुप्लीकेट आईएसबीएन पाठ्यपुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इसे ठीक करने के लिए 30 जून 2024 तक विशेष अभियान चलाकर जांच कराएं। चिन्हित करें कि कितने विद्यालयों द्वारा किन कारणों से ऐसी गड़बड़ी की गई है? गड़बड़ी करने वाले प्रकाशक और बुक सेलर्स के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। इसकी जांच रिपोर्ट भी कलेक्टरों को दी जाए।

हरदा में 9 स्कूलों पर दो-दो लाख का जुर्माना

जबलपुर के बाद हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने मनमानी फीस लेने वाले 9 प्राइवेट स्कूलों पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिले में अब तक कुल 15 निजी स्कूलों पर हो जुर्माना लगाया जा चुका है। सभी स्कूल संचालकों को 15 दिन में अतिरिक्त फीस वापस करने के निर्देश गए हैं।

नर्सिंग कॉलेज के इंस्पेक्शन में गड़बड़ी, 14 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को नोटिस

विश्वास का तीर

मध्यप्रदेश की नर्सिंग कॉलेज के इंस्पेक्शन में गड़बड़ी करने वाले 14 अफसरों पर भी एक्शन लिया गया है। कॉलेजों को मान्यता दिलाने के मामले में 14 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आरोप है कि जांच के लिए गठित निरीक्षण दल के सदस्य के रूप में गलत निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग किया है। राजस्व विभाग ने कार्रवाई लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर की है।

इन अफसरों को मिले नोटिस

पल्लवी पौराणिक तत्कालीन तहसीलदार इंदौर, अंकिता यदुवंशी, तत्कालीन नायब तहसीलदार विदिशा, ज्योति ढोके तत्कालीन नायब तहसीलदार नर्मदापुरम्, रानू माल नायब तहसीलदार अलीराजपुर, अनिल बघेल नायब तहसीलदार झाबुआ, सुभाष कुमार सुनेरे तत्कालीन नायब तहसीलदार देवास, जगदीश बिलगावे नायब तहसीलदार बुरहानपुर, यतीश शुक्ला नायब तहसीलदार रीवा, छवि पंत तत्कालीन नायब तहसीलदार छिंदवाड़ा, सतेन्द्र सिंह गुर्जर तत्कालीन नायब तहसीलदार जिला धार, रामलाल पगोर नायब तहसीलदार बुरहानपुर, जितेन्द्र सोलंकी तत्कालीन नायब तहसीलदार झाबुआ, अतुल शर्मा तत्कालीन नायब तहसीलदार सीहोर एवं कृष्णा पटेल तत्कालीन नायब तहसीलदार खरगोन शामिल हैं।

मप्र में बीएड-डीएड कॉलेजों में भी फर्जीवाड़ा उजागर

कागजों में खेतों को बता दिया कॉलेज; पंचायत की परमिशन

विश्वास का तीर

मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की तरह बीएड-डीएड कॉलेजों का भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के 6 कॉलेजों की जांच में पता चला है कि मान्यता के लिए फर्जीवाड़े की सभी हद पार कर दी गई। आरोपियों ने जहां कॉलेज होना बताया, उस भूमि पर खेत बने हैं। ग्राम पंचायत से भवन बनाने की अनुमति भी फर्जी तरीके से ली गई। यहां तक कि सरपंच के साइन तक फर्जी किए गए हैं। इसी के साथ बैंक की फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट (एफडीआर) भी फर्जी तरीके से बना ली। एसटीफ अब एससीटीई और जीवाजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की भूमिका की जांच भी कर रही है। बता दें कि बुधवार रात एसटीएफ ने 6 कॉलेजों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज तैयार करना और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

बैंक की फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट भी फर्जी

एसटीएफ के एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया कि कुछ कॉलेजों ने मान्यता के लिए जो एफडीआर लगाई थी, वह बैंक के द्वारा जारी करने से ही इनकार किया गया है। कॉलेजेस में भवन निर्माण के लिए डायवर्सन आदेश को जिस एसडीओ कार्यालय से जारी करना बताया गया, वहां से उन्हें जारी ही नहीं किया गया है। भवन पूर्णता आदेश जिन पंचायतों से जारी करना बताया गया, उन पंचायतों ने ऐसे आदेश जारी करने की बात से ही इनकार कर दिया है।

जीवाजी यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध

एसपी का कहना है कि ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी और एससीटीई दिल्ली के कर्मचारियों की भूमिका प्रारंभिक तौर पर संदिग्ध पाई गई है। लिहाजा, जांच के बाद दोषी कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।

इन कॉलेज पर दर्ज हुई एफआईआर

एसटीएफ ने अंजुमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेवड़ा (दतिया), प्राशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुंगावली (अशोक नगर), सिटी पब्लिक कॉलेज शाढ़ौरा (अशोक नगर), मां सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, वीरपुर (श्योपुर), प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बड़ौदा (श्योपुर), आइडियल कॉलेज, बरौआ (ग्वालियर) के संचालकों को आरोपी बनाया है। एसटीएफ ये भी पड़ताल करेगी कि ये अब तक कितनी डिग्रियां बांट चुके हैं।

भोपाल में फायर एनओसी जांचने पहुंची टीम: खुले में मीट बेचने पर भी कार्रवाई; बर्फ फैक्टरी-डिपो से सैंपल लिए

विश्वास का तीर

भोपाल में लगातार चौथे दिन, गुरुवार को भी फायर एनओसी जांचने के लिए टीमें मैदान में उतरी। कोलार रोड पर फन सिटी और आमेर ग्रीन में फायर सेफ्टी के इंतजाम भी देखें। वहीं, खुले में मीट बेचने पर भी कार्रवाई की गई। इधर, फूड इंस्पेक्टरों की टीम ने बर्फ फैक्टरी और डिपो में पहुंचकर सैंपल लिए। गर्मी के दौरान बर्फ की खपत बढ़ गई है। ऐसे में गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। इसके चलते कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग को जांच करने के लिए कहा। लिहाजा, गुरुवार को गोविंदपुरा की दो फैक्टरी और डिपो में टीम पहुंची। सूरजनगर रोड स्थित बर्फ कारखाने में खाद्य बर्फ का निर्माण बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस प्राप्त किए होना पाया गया। संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए कलेक्टर को लिखा गया है। सब्जी मंडी, अशोका गार्डन, जवाहर चौक और बोर्ड ऑफिस तिराहा स्थित बर्फ डिपो में भी रंगहीन खाद्य बर्फ का विक्रय बिना रजिस्ट्रेशन के होना पाया गया।

अग्नि सुरक्षा की जांच भी

जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस टीम ने मिलकर निरीक्षण किया। जहां अग्नि सुरक्षा और खाद्य संबंधी चीजों की जांच की गई। कोलार तहसीलदार कुणाल राउ, नायब तहसीलदार अतुल शर्मा, फायर प्रभारी पंकज खरे ने यह कार्रवाई की।

खुले में मीट बेचने पर भी कार्रवाई

इधर, नगर निगम की टीम ने खुले में मीट बेचने पर भी कार्रवाई की। शहर के कुल 58 मांस, मछली विक्रेताओं पर यह कार्रवाई की गई। जिनसे 22 हजार 900 रुपए का स्पॉट फाइन वसूला गया। गंदगी फैलाने वालों पर भी यह कार्रवाई की गई।

हीटवेव के चलते सियासी पारे के साथ ही बढ़ता मौसमी पारा

लोकसभा चुनावों के मतदान के चरण जिस तरह से एक के बाद एक पूरे होते जा रहे हैं और सियासी पारा चढ़ता जा रहा हैं उसी तरह से मतदान का अंतिम चरण आने से पहले ही उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के तापमान में भी दिन प्रतिदिन तेजी आती जा रही है। एक और जहां समग्र मतदान प्रतिशत 2019 के स्तर पर नहीं आ पा रहा हैं वहीं सूर्यदेव को लगता हैं स्वयं से ही तापमान बढ़ाने की होड़ चल रही हैं। 29 मई को देश की राजधानी दिल्ली का पारा 52 के आंकड़ें को छू गया, हो सकता है इसको लेकर कोई मत भिन्नता हो पर इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली का पारा 50 डिग्री से तो ज्यादा ही रहा है। देश के 17 से अधिक शहरों में तापमान उच्चतम स्तर पर चल रहा है। यह एक तरह का प्राकृतिक आपात्काल है। हीटवेव या यों कहें कि लू के थपेड़ों ने जनजीवन को प्रभावित करके रख दिया है। लू या हीटवेव या तापघात के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में मौत के समाचार भी आ रहे हैं। तस्वीर का एक पहलू यह है कि अभी तक सही मायने में हमारे देश में हीटवेव को डिजास्टर मैंनेजमेंट में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। कहीं कहीं सड़कों पर पानी छिड़कने या लोगों को घर या कार्यस्थल से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जाती रही है। लू से बचाव के उपायों खासतौर से खाली पेट नहीं रहने और तरल पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन करने की सलाह दी जाती है। 1850 के बाद 2023 का साल सबसे गर्म साल रहा है पर जिस तरह से तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जन जीवन को प्रभावित कर रहा है उससे साफ हो जाता है कि 1850 के बाद 2023 नहीं बल्कि अब तो 2024 सबसे गर्म साल रहने वाला है। समूचा उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत हीटवेव के चपेट में आ गया है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, विदर्भ आदि गंभीर हीटवेव से प्रभावित इलाके हैं। राजस्थान के चुरु और फलोदी आदि का पारा तो 50 के आसपास ही चल रहा है। पानी, बिजली और हीटवेव के कारण बीमारी के हालात गंभीर होते जा रहे है। इतनी तेज गर्मी में पेयजल की उपलब्धता, बिजली की आपूर्ति व ट्रिपिंग की समस्या से निजात पाना मुश्किल हो रहा है। इस समय हीटवेव के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त होने के साथ ही सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात हो रहे हैं। असली समस्या तो सरकार के सामने पानी, बिजली और हीटवेव से प्रभावित लोगों को तत्काल इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद सभी प्रदेशों की सरकारें बेहतर प्रबंधन कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 29 मई को जहां स्वयं भर दोपहरी सिर पर गमछा लपेट राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेयजल व्यवस्था को देखने निकल पड़े तो निश्चित रुप से प्रशासन और आमजन में एक संदेश गया हैं वहीं प्रदेष के सभी जिलों में 28 व 29 मई को दो दिन के लिए सभी प्रभारी सचिवों को प्रभार वाले जिलों में जाकर पानी, बिजली, दवा, ईलाज आदि की व्यवस्थाओं का जायजा लेने भेजकर साफ संकेत दे दिए हैं। गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि जहां दो दिन तक सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस गर्मी के मौसम में अपने कार्यालयों से निकल कर जिलों में स्थानीय प्रशासन व जिले के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं वहीं आपदा के इस दौर में आवश्यक दिशा-निर्देश देकर लोगों को राहत पहुंचाने में जुट गए हैं। बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मुख्य सचिव सुधांश पंत स्वयं प्रभारी सचिवों व जिला कलक्टरों सहित अधिकारियों से 31 मई को संवाद कायम कर फीड बैक लेने के साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। राजस्थान तो एक उदाहरण है पर कमोबेस इस तरह के प्रयास हीटवेव से प्रभावित अन्य राज्यों में भी किये जा रहे होंगे, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। सामान्यत: एक मार्च से लेकर 21 जून तक सूर्य देव धरती के नजदीक होते हैं। देशी पंचाग के अनुसार नौतपा चल रहा है और माना जाता है कि इन नौ दिनों तक गर्मी का असर कुछ अधिक ही रहता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख मृत्युजंय महापात्र के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर में नमी के कारण गर्मी से राहत मिलने के आसार अवश्य है। पर सवाल यह है कि इस भीषण लू या यों कहें कि हीटवेव के लिए बहुत कुछ हम भी जिम्मेदार है। आज शहरी करण और विकास के नाम पर प्रकृति को विकृत करने में हमनें कोई कमी नहीं छोड़ी है। पेड़ों की खासतौर से छायादार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी तो दूसरी और चाहे गांव हो या शहर आंख मींचकर कंक्रिट का जंगल खड़ा करते रहे और उसका दुष्परिणाम सामने हैं। जल संग्रहण के परंपरागत स्रोतों को नष्ट करने में भी हमने कोई गुरेज नहीं किया। हमारे यहां मौसम के अनुसार खान-पान की समृद्ध परंपरा रही है पर उसे आज भुला दिया गया है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहले समुद्र में तापमान बढ़ने के साथ ही आंधी तूफान का माहौल बन जाता था और बरसात होने से लोगों को तात्कालीक राहत मिल जाती थी। पर आज तो समुद्र का तापमान बढ़ने के बावजूद हीटवेव का असर ही अधिक हो रहा है। ऐसे में अब तात्कालीक व दीर्घकालीक योजनाएं बनाकर भविष्य की रुपरेखा तय करनी होगी। क्योंकि यह तो साफ हो चुका है कि प्रकृति का हमनें इतना दोहन कर लिया है कि हालात निकट भविष्य में सुधरने की लगते नहीं हैं। अब सुविधाओं और प्रकृति के बीच सामंजस्य की और ध्यान देना होगा नहीं तो आने वाले साल और अधिक चुनौती भरे होंगे। कंक्रिट के जंगलों से लेकर हमारे दैनिक उपयोग के अधिकांश साधन तापमान को बढ़ाने वाले ही हैं। इस चुनौती से निपटना ही होगा। अब सम्मेलनों के प्रस्तावों से आगे बढ़कर क्रियान्वयन पर जोर देना होगा।

संपादकीय

दरकते भरोसे को बचाएं कैसे

हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते समय हम सवालों से घिरे हैं और जवाब नदारद हैं। पं.जुगुलकिशोर शुकुल ने जब 30 मई ,1826 को कोलकाता से उदंत मार्तण्ड की शुरुआत की तो अपने प्रथम संपादकीय में अपनी पत्रकारिता का उद्देश्य लिखते हुए शीर्षक दिया - %हिंदुस्तानियों के हित के हेत%। यही हमारी पत्रकारिता का मूल्य हमारे पुरखों ने तय किया था। आखिर क्यों हम पर इन दिनों सवालिया निशान लग रहे हैं। हम भटके हैं या समाज बदल गया है कुछ दिनों पहले दिनों, देश के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में मुख्य न्यायाधीश श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि किसी देश को लोकतांत्रिक रहना है, तो प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए। जब प्रेस को काम करने से रोका जाता है, तो लोकतंत्र की जीवंतता से समझौता होता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश, ऐसा कहने वाली पहली विभूति नहीं हैं। उनसे पहले भी कई बार कई प्रमुख हस्तियां प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर मिलते-जुलते विचार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त कर चुकी हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है, तो वह अकारण नहीं है। उसने समय-समय पर लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए बहुत काम किया है और इसके लिए बड़ी कीमत भी चुकाई है। इसके बदले उसे समाज का, लोगों का भरपूर विश्वास और सम्मान भी हासिल हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से बीते दो-तीन दशकों में यह विश्वास लगातार दरकता गया है, सम्मान घटता गया है। मीडिया की इस घटती प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता के पीछे बहुत सारे कारण गिनाये जा सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि उदारीकरण की आंधी से पहले जिस मीडिया ने खुद को एक मिशन बनाए रखा था, उसने व्यावसायिकता की चकाचौंध में बहुत तेजी से अपना 'कॉरपोरेटाइजेशन' कर लिया और खुद को 'मिशन' की बजाए खालिस 'प्रोफेशन' बना लिया। अब जब यह प्रोफेशन बना तो इसकी प्राथमिकताएं भी बदल गईं। 'जन' की जगह 'धन' साध्य बन गया। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में मीडिया प्रतिष्ठानों ने अपने तौर-तरीके पूरी तरह बदल लिए। 'कंटेंट' की बजाय उन्होंने 'आइटम' पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, ताकि रीडरशिप और टीआरपी में ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचा जा सके। जितनी ज्यादा ऊंचाई, उतना ज्यादा विज्ञापन राजस्व। उसमें भी भारी घालमेल। अधिकतर अखबार और टीवी चैनल, सामग्री की गुणवत्ता की बजाए आंकड़ों की बाजीगरी में अधिक भरोसा करने लगे। लेकिन, या तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, या फिर परवाह नहीं की, कि इस पूरे चक्र में वे समाज और लोगों का भरोसा खो रहे हैं।

मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचा थाने, बोला- मैं मुकुल सिंह, राजकुमार और तनिष्क की हत्या की थी

जबलपुर में पिता-भाई की हत्या का आरोपी ने किया सरेंडर

विश्वास का तीर

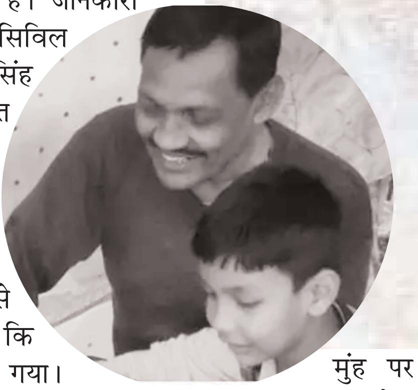

जबलपुर में पिता-भाई की हत्या करने वाली लड़की का बॉयफ्रेंड और वारदात का मास्टरमाइंड मुकुल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार रात करीब 11:45 बजे उसने सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया। वह चेहरे पर कपड़ा बांधकर थाने पहुंचा। यहां पहुंचकर कहा- मैं मुकुल सिंह हूं। पुलिस ने जैसे ही उसे देखा, तो होश उड़ गए। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि मुकुल सिंह ने रेलवेकर्मी राजकुर्मा विश्वकर्मा और तनिष्क की हत्या कबूल कर ली है। जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी सिविल लाइन थाने पहुंचे। मुकुल सिंह को गाड़ी में बिठाकर अज्ञात जगह ले गई। बता दें कि हरिद्वार से एक दिन पहले नाबालिग लड़की को पुलिस ने पकड़ा था। तब वह पुलिस की गिरफ्त से भाग गया था। सूत्र बताते हैं कि इसके बाद वह जबलपुर आ गया।

मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचा

सूत्रों के मुताबिक सिविल लाइन थाने में रोजाना की तरह गुरुवार रात करीब 11:45 मिनट पर पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधकर एक युवक थाने पहुंचा। बोला- मुझे इंस्पेक्टर सर से मिलना है। युवक को देखने के बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने कहा कि क्या काम है। इसके बाद युवक ने पुलिस कर्मचारियों से कहा कि मेरा नाम मुकुल सिंह है। मैं वही मुकुल हूं, जिसने 15 मार्च को मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार और तनिष्क की हत्या की थी। इतना सुनते ही पुलिस कर्मचारियों के होश उड़ गए। तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मुकुल सिंह को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम लेकर गए, जहां थोड़ी देर रुकने के बाद उसे अज्ञात स्थान पर ले गए।

युवक को पेशाब पिलाने वाले जीजा का जुलूस निकाला

गुना से अगवा कर ले गया था राजस्थान, घागरा पहनाकर घुमाया; 4 गिरफ्तार

विश्वास का तीर

गुना से युवक को अगवा कर राजस्थान ले जाकर पेशाब पिलाने वाले जीजा का पुलिस ने शहर में जुलूस निकाला। गुरुवार को गुना पुलिस चार आरोपियों को तेलघानी चौराहे से हनुमान चौराहे तक पैदल ले गई, इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया। मामले में गुना के फतेहगढ़ थाने में राजस्थान के 7 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हैं। 4 गिरफ्तार हो चुके हैं। मावन (गुना) के महेंद्र सिंह बंजारा को आरोपी 22 मई को अगवा कर राजस्थान के जंगल ले गए थे। वहां जीजा और उसके भाइयों ने पेशाब पिलाकर पीटा, मुंडन किया, लड़की के कपड़े और चप्पलों की माला पहनाई थी। घागरा पहनाकर गांव में घुमाया था। पुलिस ने आरोपी जीजा रमेश बंजारा, उसके भाई जगदीश बंजारा, गुमान सिंह, तूफान सिंह को अलडान (राजस्थान) से गिरफ्तार किया।

पीड़ित महेंद्र से ही जानिए उसके साथ क्या हुआ था...

चाचा मोहन बंजारा ने उनकी बेटी संगीता की शादी 2020 में रमेश बंजारा से की थी। चाचा, आगर बड़ौद (राजस्थान) के रहने वाले हैं। रमेश भी राजस्थान के बारां जिले के अलडान, थाना अटरू का रहने वाला है। सालभर पहले रमेश के बड़े भाई का निधन हो गया। उसने भाभी को साथ रख लिया। इसके बाद से रमेश और संगीता में झगड़े होने लगे। रमेश, संगीता से मारपीट करने लगा। परेशान होकर कुछ महीने पहले संगीता मायके चली आई थी। परिवार के समझाने पर वह ससुराल लौटी। दो महीने पहले संगीता लापता हो गई, लेकिन इस बार वह मायके नहीं पहुंची।

ठंडा पिलाने का बोलकर साथ ले गए...

जीजा को लगता है कि हमें पता है संगीता कहां है। बात 22 मई की है। मैं फतेहगढ़ (गुना) इलाके के भौंरा गांव में काम करने के लिए गया था। जीजा रमेश बंजारा आए। बोले- गर्मी बहुत पड़ रही है, चलो सेन बोर्ड चौराहे (फतेहगढ़, गुना) से ठंडा पीकर आते हैं। दोपहर के 3 बज रहे थे। हम सेन बोर्ड पेट्रोल पंप पर आए। यहां जीजा के भाई जगदीश, गुमान सिंह व तूफान, रिश्तेदार ओमकार, सोदान सिंह, बदन सिंह पहले से मौजूद मिले।

अंतिम दौर का प्रचार थमने के पश्चात कन्याकुमारी के भगवती अम्मन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक पहुंचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।

टीआई को ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलने की कोशिश

मुरैना में पत्थर के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने पहुंचे थे, ग्वालियर किया रेफर

विश्वास का तीर

मुरैना में टीआई को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। घटना गुरुवार दोपहर करीब एक बजे की है। सीएसपी राकेश गुप्ता ने बताया- मुरैना सिविल लाइन थाना प्रभारी रामबाबू यादव और खनिज विभाग की टीम पत्थरों के अवैध खनन और परिवहन की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची थी। इस दौरान टीआई रामबाबू पत्थर से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने की कोशिश कर रहे थे। टीआई ट्रैक्टर पर चढ़ गए। ट्रैक्टर चालक ने इसकी परवाह किए बगैर स्पीड बढ़ा दी। इस दौरान ट्रॉली एक पड़े से टकरा गई। जिससे टीआई नीचे गिर गए और बुरी तरह से घायल हो गए। सीएसपी के मुताबिक ट्रैक्टर चालक ने टीआई पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर

लिया गया है। वहीं जड़ेरुआ गांव के रहने वाले आरोपी राकेश गुर्जर व अभिषेक गुर्जर पर शासकीय कर्मचारी पर हमला करने, हत्या का प्रयास, सहित अवैध परिवहन करने सहित करीब आधा दर्जन अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ट्रैक्टर-ट्रॉली के ऊपर चढ़ गए थे टीआई

सीएसपी राकेश गुप्ता ने बताया कि गुरुवार दोपहर में माइनिंग दल और सिविल लाइन थाना प्रभारी रामबाबू यादव अवैध पत्थर के परिवहन की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। सूचना मिली थी कि अवैध पत्थर से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली विक्रम नगर तरफ जा रहे थे। तभी टीआई रामबाबू यादव दलबल के साथ वहां पहुंच गए। टीआई को तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली वहां से जाते नजर आए तो उनका पीछा किया। दो ट्रैक्टर तो चले गए। तीसरे को रोकने की कोशिश में टीआई उस पर चढ़ गए। फिर भी ड्राइवर ने ट्रैक्टर नहीं रोका। जिसके बाद ट्रैक्टर पेड़ से टकरा गया और टीआई नीचे गिरने से घायल हो गए। इस हमले में टीआई की आंख में चोट आई है।

जिला पंचायत मार्ग पर पत्थर माफिया का आतंक

दरअसल, गुरुवार सुबह कुछ अधिकारियों ने जिला पंचायत मार्ग पर अवैध पत्थर का खनन कर परिवहन करने वाले ट्रैक्टर-टॉलियों का जमावड़ा देखा था। सूचना पर पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद पुलिस की ओर से सिविल लाइन थाना प्रभारी रामबाबू यादव और खनिज विभाग की ओर से खनिज निरीक्षक सुरेंद्र पटेल, अभिषेक चक के नेतृत्व में पुलिस बल, प्रशासन ,खनिज विभाग के कर्मचारी कार्रवाई के लिए गए थे। जैसे ही यह दल जिला पंचायत मार्ग पर पहुंचा। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक और मालिक वाहनों को लेकर भागने लगे।

हाईकोर्ट ने कहा-बिना धर्म बदले शादी अवैध होगी; चाहे तो लिव इन में रह सकते हैं

हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक ने मांगी शादी की इजाजत

विश्वास का तीर

मुस्लिम युवक और हिंदू युवती आपस में शादी कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें धर्म बदलना होगा। यानी बिना धर्म बदले शादी अवैध होगी। यह विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं है। क्योंकि शादी के बाद होने वाले बच्चों को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा।' यह कहते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दोनों ने शादी की अनुमति मांगी थी। गुरुवार को यह आदेश जस्टिस जीएस अहलूवालिया की कोर्ट ने दिया। मामले की सुनवाई 25 मई को हुई। इसके बाद 27 मई को आदेश ऑनलाइन अपलोड किया गया। दरअसल, अनूपपुर में रहने वाले 29 साल के मुस्लिम युवक और 25 साल की हिंदू युवती एक-दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों शादी भी करना चाहते हैं। शर्त यह है कि शादी के बाद दोनों एक-दूसरे का धर्म नहीं छोड़ना चाहते। यानी वे अपने-अपने धर्म का पालन करेंगे। उनके परिवार वाले भी शादी के लिए तैयार नहीं हैं।

कलेक्टर ने आवेदन कर दिया था खारिज

सबसे पहले, 25 अप्रैल 2024 को उन्होंने अनूपपुर कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिया था। इसमें पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए शादी की अनुमति मांगी। कलेक्टर ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। साथ ही, विवाह की मंजूरी भी नहीं दी। उन्होंने 27 अप्रैल 2024 को विवाह की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगा दी।

कोर्ट में दलील- विशेष विवाह अधिनियम में संभव

युवक-युवती की ओर से हाईकोर्ट में दिनेश कुमार उपाध्याय ने पैरवी की। कोर्ट में दलील दी गई कि भारतीय कानून में विशेष विवाह अधिनियम में इस तरह का विवाह संभव है। वकील ने कोर्ट को बताया कि कपल को पुलिस सुरक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वे विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी को रजिस्टर्ड करा सकें। वहीं, सरकारी वकील केएस बघेल ने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसकी इजाजत नहीं है कि कोई मुस्लिम लड़का किसी मूर्ति पूजक हिंदू लड़की से विवाह कर सके। जब तक युवती अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म नहीं अपनाती, तब तक विवाह मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप की दी अनुमति

कोर्ट ने सुनवाई के अंत में कहा कि युवक-युवती लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन धर्म बदले बिना शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है, इसलिए ऐसी शादी को वैध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में वह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने की मांग पर दखल नहीं देगा।

युवती के पिता ने किया था विरोध

सुनवाई के दौरान कोर्ट में युवती के पिता भी मौजूद रहे। उन्होंने भी शादी का विरोध किया। उन्होंने आशंका जताई कि अगर अंतर्जातीय विवाह हुआ, तो समाज में उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले दोनों शादी के लिए घर से भाग गए थे। युवती के पिता का दावा है कि इस दौरान युवती घर से सोने-चांदी के गहने और नकदी ले गई थी।

मोबाइल चार्जर और एयरपॉड में छिपाया सोना

विश्वास का तीर

इंदौर में शारजाह से आए एक यात्री के मोबाइल चार्जर और एयरपॉड से सोना बरामद किया है। यह सोना तस्करी कर लाया जा रहा था। यात्री का नाम मो. आरिफ गामा शेख है। उसे कस्टम ने पकड़ा है। आरिफ से 80.29 ग्राम सोना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। वह मुंबई का रहने वाला है। आरिफ एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर ड्ढङ्ग256 से इंदौर आया था। वह एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था, तभी उसे कस्टम ने पकड़ लिया। कस्टम अधिकारियों के अनुसार वह एयरपॉड और मोबाइल के चार्जर में सोना छिपाकर लाया था। खुफिया जानकारी और आशंका पर कस्टम अधिकारियों ने यात्री को इंदौर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद रोका और जांच की। उसके पास से विदेश में बना एक लैपटॉप और दो आईफोन भी बरामद हुए हैं। यात्री ने अपने मोबाइल चार्जर और एयरपॉड के भीतर सोना छिपाया था। सोने को अधिकारियों की नजरों से बचाने के लिए उस पर रेडियम की पॉलिश की गई थी। खास बात है कि जिस एयरपॉड में सोना छिपाया था वे चालू थे। कस्टम विभाग ने 80.29 ग्राम सोने के साथ इलेक्ट्रानिक उपकरण जब्त कर यात्री के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कन्याकुमारी में 1 जून तक रहेंगे, भगवती अम्मन देवी की पूजा भी की

पीएम मोदी का विवेकानंद रॉक पर 45 घंटे का ध्यान

विश्वास का तीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान शुरू हो चुका है। वे 1 जून तक ध्यानमग्न रहेंगे। मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं, जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी गुरुवार (30 मई) की शाम कन्याकुमारी पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन-पूजन किया। पूजा के दौरान मोदी ने सफेद मुंडु (दक्षिण भारत में लुंगी की तरह पहना जाने वाला परिधान) पहना था और शॉल ओढ़े थे। पुजारियों ने उन्हें विशेष आरती कराई और प्रसाद, शॉल और देवी भगवती अम्मन की फ्रेम में मढ़ी हुई तस्वीर दी। मोदी तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी हेलिकॉप्टर से पहुंचे थे। यहां से वे ध्यान मंडपम तक उसी फेरी से पहुंचे, जिसमें सामान्य लोग जाते हैं। जब तक मोदी ध्यान मंडपम में हैं, पूरे कन्याकुमारी में 2 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए तमिलनाडु पुलिस का कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप, कोस्ट गार्ड और नेवी भी तैनात है। मोदी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर एक संगठन थंगथाई पेरियार द्रविड़र कड़गम ने मदुरै में प्रधानमंत्री के विरोध में काले झंडे दिखाए। इसी संगठन ने एक्स पर गोबैकमोदी (मोदी वापस जाओ) पोस्ट किया।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एवं सपांदक आपयुष राजपूत द्वारा कविता आर्फसेट प्रिंटर्स, एमपी नगर जोन -1 भोपाल (म. प्र.) से मुद्रित एवं 1209 पुष्पा नगर चांदबड़, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- आपयुष राजपूत, मो.7247257823, 7999252366 (प्रति शुक्रवार को प्रकाशित) समाचारों से संपादक का सहमत होना जरूरी नहीं। (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।) RNI.NO MPHIN/2022/83636